न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

(प्रथम लिंक अधिकारी)

2025-283RAABarmer2025-147RTA223 Manaram ors Vs Govt. Primary School Rohila etc
2025-471RAABarmer2025-234RTA223 Gangadevi ors Vs Madharam etc

01. मानाराम पुत्र सदराम
02. श्रीराम पुत्र भागचन्द

जाति विश्नोई निवासी सुनारों की बेरी रोहिला तहसील धोरीमना व जिला बाड़मेर (राज.)।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

1. राजकीय प्राथमिक विद्यालय रोहिला पूर्व तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर
2. कटकु पत्नी करनाराम
3. रूखमणी पत्नी तेजाराम
4. रूपाराम पुत्र पुनमाराम
5. हिरकन पुत्र भगाना
6. हिरों पत्नी पूनमाराम
7. किशनाराम पुत्र पूनमाराम
8. गोरधन पुत्र धुडा
9. प्रतापा पुत्र गगाना
10. फुसाराम पुत्र सदराम
11. बुधराम पुत्र सदराम
12. भंवरलाल पुत्र करनाराम
13. गोरखाराम पुत्र भगवानाराम
14. माधाराम पुत्र सदराम

    जाति विश्नोई निवासी सुनारो की बेरी रोहिला तहसील धोरीमना व जिला बाड़मेर (राज.)।
15. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा धोरीमना।
16. श्रीमान तहसीलदार धोरीमना।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 03 जून 2025 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना राजस्व मूल वाद संख्या 30/2025 अनवान राजकीय प्राथमिक विद्यालय रोहिला पूर्व बनाम मानाराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री नारायण कुमावत, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री ओमप्रकाश विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक

02. 2025-471RAABarmer2025-234RTA223 Gangadevi ors Vs Madharam etc

1. गंगादेवी पुत्री भागचन्द पत्नी फगलूराम
2. जमना पुत्री भागचन्द के कायम मुकामः–
    - 2.1. रूपाराम माता जमना पुत्र रिड़मलराम
    - 2.2. मांगीलाल माता जमना पुत्र रिड़मलराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जाति विश्नोई निवासी रोहिली पटवार, मण्डल लूखू हाल खिचड़ो का वास तहसील गुड़ामालानी व जिला बाड़मेर।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

1. माधाराम पुत्र सदराम
2. मानाराम पुत्र सदराम
3. फुसाराम पुत्र सदराम
4. बुधराम पुत्र सदराम
5. श्रीराम पुत्र भागचंद
6. गोरधन पुत्र धुड़ा
7. रूपाराम पुत्र पुनमाराम
8. किशनाराम पुत्र पुनमाराम
9. हिरों पत्नी पुनमाराम
10. कटकु पत्नी करनाराम
11. भंवरलाल पुत्र करनाराम
12. रूखमणी पत्नी तेजाराम
13. थ्हरकन पुत्र भगाना
14. प्रतापा पुत्र गगाना
15. गोरखाराम पुत्र भगवानाराम
    जाति विश्नोई निवासी सुनारो की बेरी रोहिला तहसील धोरीमना व जिला बाड़मेर (राज.)।
16. राजकीय प्राथमिक विद्यालय रोहिला पूर्व तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।
17. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा धोरीमना।
18. श्रीमान तहसीलदार धोरीमना।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 03 जून 2025 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना राजस्व मूल वाद संख्या 30/2025 अनवान राजकीय प्राथमिक विद्यालय रोहिला पूर्व बनाम मानाराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री नारायण कुमावत, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स

नि र्ण य

दिनांक : 18 फरवरी 2026

दोनो अपीलों के अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 30/2025 अनवान राजकीय प्राथमिक विद्यालय रोहिला पूर्व बनाम मानाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 03 जून 2025 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान

राजस्व अपील प्राधिकारी

काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत क्रमशः दिनांक 26 जून 2025 एवं 11 नवंबर 2025 को प्रस्तुत की है।

अपील संख्या 234/2025 के अपीलांट्स द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया। अपीलांट्स द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

दोनो अपीलों की विषय–वस्तु, प्रकृति, पक्षकारान् समान होने तथा एक ही निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत किये जाने से निर्णय की एकरूपता हेतु एक ही निर्णय में निस्तारित की जा रही है। प्रत्येक अपील के साथ एक–एक निर्णय प्रति रखी जावे।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक/प्रतिवादी संख्या एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय रोहिला पूर्व ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 290 रकबा 5.7465 हैक्टेयर में अपने 1/18 हिस्से की भूमि के विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 03 जून 2025 के जरिये रेस्पोंडेंट संख्या एक/वादी का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपीले प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट्स (अपील संख्या 234/2025) ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्टगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 40, 92क, 188, 207 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया है जो राजस्व वाद संख्या 54/2025 उनवान गंगादेवी बनाम माधाराम पर दर्ज किया जाकर विचाराधीन है। अपीलाधीन आराजी के अपीलाण्टगण हितबद्ध खातेदार है, जिसका अपीलाधीन आराजी में हित निहित है। उक्त निर्णय व प्राथमिक डिक्री से अपीलाण्टगण के हितो पर कुटाराघात हुआ है। इस कारण अपीलाण्ट् को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलांट्स को अपील प्रस्तुतिकरण की अनुमति प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट्स को विचारण न्यायालय में पक्षकार संयोजित नहीं किये जाने से उन्हें निर्णय व प्राथमिक डिक्री की जानकारी नही हुई। वर्तमान में उतरदाता पक्ष के द्वारा मौका पर कब्जा करने व अपीलाण्टगण की फसल को नुकसान करने का प्रयास किया एवं अपीलाण्टगण को धमकी दी गई कि आप यहा कृषि कार्य नही करे तथा फसल को हटा देवे हमारे पक्ष में फैसला हो गया है। जिस पर दिनांक 26–08–2025 को अपीलाण्टगण के पक्ष में जारी स्थगन व उतरदाता संख्या 11 के उक्त निर्णय व डिक्री नकले हेतु आवेदन पेश किया गया जो तैयार होकर दिनांक 27–08–2025 को प्राप्त हुई। वास्तविक जानकारी व

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

नकल तैयार होने की तारीख से अन्दर म्याद पेश है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जावे।

अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने गुणावगुण पर दोनो अपीलो में अपनी बहस में तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाण्टगण के नाम से सम्मन प्राप्त होने पर अपीलांट्स की ओर से अपना वकील नियुक्त किया गया, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट्स के वकालतनामा को रिकॉर्ड पर नही रखा गया। अपीलाण्टगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना तथा न्यायिक प्रक्रिया की पालना किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03–06–2025 को ही अपीलाण्टगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई एवं वादी की साक्ष्य लिये बिना ही तथा बिना दस्तावेज प्रदर्श किये ही दिनांक 03–06–2025 को उसी दिन बहस सुनी जाकर पत्रावली में निर्णय व प्राथमिक डिकी की गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुसरण नही कर अपने मनमाने तरीके से जल्दबाजी में यह निर्णय पारित किया गया है। जल्द बाजी से किया गया कार्य न्याय प्रकिया के अनुरूप नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय 2003 आर आर डी 504 श्रीमती चन्दा बनाम राजस्थान राज्य में पारित में मत प्रतिपादित किया गया है कि justice hurried is justice buried. विधि का यह सुस्थापित नियम है कि वाद में सभी प्रतिवादीगण की तलबी जारी कर बाद तामीली प्रतिवादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर व जबाब पेश करने के बाद तनकीयात कायम की जाकर दोनो पक्षो की साक्ष्य ली जाकर स्वंतंत्र निर्णय पारित करे, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकियात कायम की जाकर तथा बिना साक्ष्य के निर्णय व डिकी पारित की गई है। यह उल्लेखनीय है कि वादी ने अपने अनुतोष में अपना हिस्सा घोषित करने का अनुतोष चाहा गया है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व प्राथमिक डिक्री में हिस्सा घोषित नही किया गया है तथा न ही पक्षकारान का हिस्सा अंकित किया गया है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि के अनुरूप नही होने से निरस्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 30/2025 अनवान राजकीय प्राथमिक विद्यालय रोहिला पूर्व बनाम मानाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 03 जून 2025 को निरस्त फरमाया जावे एवं मामला उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत विधिनुसार निस्तारित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलांट्स के अधिवक्तागण के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि रेस्पो. द्वारा वादग्रस्त आराजीयात की जमाबंदी में दर्ज सभी खातेदारान् को पक्षकार संयोजित करते हुए विचारण न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा सभी प्रतिवादीगण पर सम्मनों की नियमानुसार तामील करवायी गई है। प्रतिवादीगण के बाद तामील भी उपस्थित नहीं होने पर विचारण न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

द्वारा नियमानुसार उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए विधिनुसार विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारान् के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से के संबंध में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त आराजीयात की जमाबंदी में हिस्से गलत दर्ज होने अथवा हिस्सों में परिवर्तन का ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे उनके कथनों की पुष्टि हो सके। अपीलांट्स गंगादेवी वगैरह वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार दर्ज नहीं है। उनके अधिकारों का निर्धारण उनकी ओर से प्रस्तुत वाद में जरिये साक्ष्य तय होना है। इस कारण वे हस्तगत अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी नही है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपीले सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के जरिये वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 290 रकबा 5.7465 हैक्टेयर ग्राम सुनारो की बेरी तहसील धोरीमन्ना के राजस्व रेकर्ड/जमाबंदी में पक्षकारान् के दर्ज हिस्से अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम(राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये अपीलांट् के वर्तमान में जमाबंदी में दर्ज हिस्से के संबंध में किसी प्रकार का फेरबदल/परिवर्तन नहीं किया गया है तथा न ही अपीलांट्स द्वारा अपने हक-हिस्से में परिवर्तन बाबत उज्र उठाये है।

जहां तक अपीलांट का उज्र है कि विचारण न्यायालय द्वारा उसे सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर प्रदान नहीं किया गया। इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं के अवलोकन से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट् पर सम्मनों की सम्यक रूप से तामील करवायी गई है। बाद तामील उपस्थित नहीं होने पर विचारण न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का सुनवाई के संबंध में उठाया गया उज्र स्वीकार योग्य नहीं है।

अपीलांट गंगादेवी वगैरह का उज्र है कि वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में अन्य वाद विचाराधीन है। इस संबंध में अदालत का मत है अपीलांट्स गंगादेवी वगैरह के खातेदारी अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में जरिये साक्ष्य तय होना है। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये राजस्व रेकर्ड में दर्ज पक्षकारान् के हक-हिस्सों में परिवर्तन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स गंगादेवी वगैरह द्वारा प्रस्तुत अपील अनुमति बाधित पायी जाती है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील संख्या 234/2025 अनुगति बाधित एवं गुणावगुण पर सारहीन पाये जाने तथा अपील संख्या 147/2025 गुणावगुण पर सारहीन पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 30/2025 अनवान राजकीय प्राथमिक विद्यालय रोहिला पूर्व बनाम मानाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 03 जून 2025 यथावत रखे जाते है। साथ ही विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्षकारान् को विभाजन प्रस्ताव पर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मामले का दो माह की अवधि में विधिनुसार अंतिम डिक्री जारी करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील अधिकारी, बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर